

डिक्री बमुकदमें इब्लदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 79/2022

दायर दिनांक 23.02..2022

वादीया

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल सुभान खां पुत्र
मुनीम खां उम्र 59 वर्ष
जाति कायमखानी
निवासीगण मावा, तहसील
डीडवाना, जिला नागौर
राज0।

1. आमीना पुत्री सफी मोहम्मद उम्र 56 वर्ष
2. करामत अली पुत्र सफी माहम्मद उम्र 54 वर्ष
3. खुर्शिद अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 59 वर्ष
4. जमेला पुत्री सफी मोहम्मद उम्र 62 वर्ष
5. मकसुद अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 62 वर्ष
6. मेहमूद अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 45 वर्ष
- 6ए हबीब अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 52 वर्ष
समस्त जाति काजी निवासीगण मावा
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
7. कमला देवी पुत्री गुलाबचन्द उम्र 48 वर्ष
8. कैलाशचन्द पुत्र गुलाबचन्द उम्र 45 वर्ष
9. जीवनमल पुत्र गुलाबचन्द उम्र 39 वर्ष
10. दुर्गादेवी पत्नि गुलाबचन्द उम्र 70 वर्ष
11. अंकित पुत्र स्व0 दीनदयाल उम्र 08 वर्ष
- बनाम 12. नवरतन पुत्र स्व0 दीनदयाल उम्र 04 वर्ष
13. चन्दा देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल उम्र 26 वर्ष
14. सुरज्ञान देवी पत्नि स्व0 भंवरलाल उम्र 55वर्ष
15. मनोज कुमार पुत्र स्व0 भंवरलाल उम्र 21 वर्ष
16. योगेश पुत्र स्व0 भंवरलाल उम्र 18 वर्ष
17. धन्नीदेवी पुत्री स्व0 भंवरलाल उम्र 25 वर्ष
18. मन्नी कुमारी पुत्री स्व0 भंवरलाल उम्र 23 वर्ष
19. विमला कुमारी पुत्री स्व0 भंवरलाल उम्र 19वर्ष
20. पन्नालाल पुत्र स्व0 लालचन्द उम्र 08 वर्ष
21. रेखा देवी पत्नि स्व0 लालचन्द उम्र 24 वर्ष
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण मावा तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0
22. ताज बानों पत्नि अब्दुल सुभान खां उम्र 55 वर्ष
जाति कायमखानी निवासीगण मावा तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
23. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 29.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी मो0 युनूस सलीम वकील प्रतिवादी
सं0 22 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री
सादिर कर, सरहद मौजा मावा के खेत खसरा सं0 504 रकबा 0.2700 हैक्टे0 बारानी
प्रथम, खसरा सं0 511 रकबा 3.0300 हैक्टे0 कुल रकबा 3.3000 हैक्टे0 की भूमि में
निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 79/2022

दायर दिनांक 23.02..2022


वादी

1. अब्दुल सुभान खां पुत्र
मुनीम खां उम्र 59 वर्ष
जाति कायमखानी
निवासीगण मावा, तहसील
डीडवाना, जिला नागौर
राज0।

प्रतिवादीगण

1. आमीना पुत्री सफी मोहम्मद उम्र 56 वर्ष
2. करामत अली पुत्र सफी माहम्मद उम्र 54 वर्ष
3. खुर्शिद अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 59 वर्ष
4. जमेला पुत्री सफी मोहम्मद उम्र 62 वर्ष
5. मकसुद अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 62 वर्ष
6. मेहमूद अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 45 वर्ष
- 6ए हबीब अली पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 52 वर्ष
समस्त जाति काजी निवासीगण मावा तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
7. कमला देवी पुत्री गुलाबचन्द उम्र 48 वर्ष
8. कैलाशचन्द पुत्र गुलाबचन्द उम्र 45 वर्ष
9. जीवनमल पुत्र गुलाबचन्द उम्र 39 वर्ष
10. दुर्गादेवी पत्नि गुलाबचन्द उम्र 70 वर्ष
11. अंकित पुत्र स्व0 दीनदयाल उम्र 08 वर्ष
12. नवरतन पुत्र स्व0 दीनदयाल उम्र 04 वर्ष
13. चन्दा देवी पत्नि स्व0 दीनदयाल उम्र 26 वर्ष
14. सुरज्ञान देवी पत्नि स्व0 भंवरलाल उम्र 55वर्ष
15. मनोज कुमार पुत्र स्व0 भंवरलाल उम्र 21 वर्ष
16. योगेश पुत्र स्व0 भंवरलाल उम्र 18 वर्ष
17. धन्नीदेवी पुत्री स्व0 भंवरलाल उम्र 25 वर्ष
18. मन्नी कुमारी पुत्री स्व0 भंवरलाल उम्र 23 वर्ष
19. विमला कुमारी पुत्री स्व0 भंवरलाल उम्र 19वर्ष
20. पन्नालाल पुत्र स्व0 लालचन्द उम्र 08 वर्ष
21. रेखा देवी पत्नि स्व0 लालचन्द उम्र 24 वर्ष
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण मावा
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
22. ताज बानों पत्नि अब्दुल सुभान खां उम्र 55
वर्ष जाति कायमखानी निवासीगण मावा
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
23. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

1. वाकै सरहद मावा के खेत खसरा सं० 504 रकबा 0.2700 हैक्टे० का बंटवारा निम्न प्रकार से है :- वादी अब्दुल सुभान खां व प्रतिवादी सं० 22 ताज बानों के संयुक्त रूप से उत्तर की तरफ 1/2 हिस्सा यानि 0.1350 हैक्टे० भूमि बंट में रखी जाती है।
2. वाकै सरहद मावा के खेत खसरा सं० 511 रकबा 3.0300 हैक्टे० का बंटवारा निम्न प्रकार से है:- वादी अब्दुल सुभान खां व प्रतिवादी सं० 22 ताज बानों के संयुक्त रूप से उत्तर की तरफ 1/2 हिस्सा यानि 1.5150 हैक्टे० भूमि बंट में रखी जाती है।

खातेदार दिनदयाल, भवंरलाल, मरियम फौत होने से इनका नाम हटाया जाता है। व वादी सुभान खां के स्थान पर अब्दुल सुभान खां व प्रतिवादी सं० 22 ताज बानों के पति का नाम सुभान खां के स्थान पर अब्दुल सुभान खां दर्ज किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
 डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
 डीडवाना